

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264686 CG-DL-E-15072025-264686

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947No. 427]NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2025

# सं. 23/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 470(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उप शीर्षक 2903 39 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत को किया गया आयात इसके सामान्य मूल्य से बहुत कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;
- (ii) विषयगत देश से यहां विचाराधीन उत्पाद की भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के, जिसे सा.का.नि. 874 (अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत संबद्ध वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अंतिम निष्कर्षों में निर्यातक कंपनी का नाम "शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड" से "शेडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" में बदलने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था जिसे अधिसूचना संख्या 6/33/2020-डीजीटीआर, दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संशोधन अधिसूचना संख्या 7/16/2024-डीजीटीआर, दिनांक **3** अप्रैल, 2025, जिसे दिनांक **3** अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इससे व्यवसाय की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष 6/8/2020-डीजीटीआर, दिनांक **8** जून, 2021 में सिफारिश की है कि निर्यातक का नाम " शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड ", को संशोधित करके " शेडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड " कर दिया जाए;

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 75/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 जिसे सा.का.नि. 874(अ), दिनांक 21 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (6) की प्रविष्टि में, " शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड " शब्दों के स्थान पर, " शेडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/33/2025-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

2

## **MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2025

#### No. 23/2025-Customs (ADD)

**G.S.R. 470(E).**— Whereas, in the matter of "Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32" (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) falling under tariff sub-heading 2903 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the designated authority in its final findings issued *vide* Notification number 6/33/2020-DGTR, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2021, had come to the conclusion that -

(i) the product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping;

- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) there is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty imports the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 75/2021-Customs (ADD), dated the 21<sup>st</sup> December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 874(E), dated the 21<sup>st</sup> December, 2021;

And whereas, Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. requested the designated authority for changing the name of exporter company from "Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd." to "Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd" in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, *vide* notification number 6/33/2020-DGTR, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2021;

And whereas, the designated authority, *vide* amendment notification number 7/16/2024-DGTR, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 3<sup>rd</sup> April,2025, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the basic nature of the business and recommended that the name of the exporter viz. "Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd", be amended to "Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd" in its final findings issued *vide* Notification number 6/33/2020-DGTR, dated the 23<sup>rd</sup> September, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid amendments to the final findings of the Designated Authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 75/2021-Customs (ADD), dated the 21<sup>st</sup> December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 874(E), dated the 21<sup>st</sup> December, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (6), for the words "Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd", the words "Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190349/33/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264687 CG-DL-E-15072025-264687

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] No. 428]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2025/आषाढ़ 24, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2025/ASHADHA 24, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2025

# सं. 24/2025- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 471(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "हाइड्रोफ्लोरोकाबिन (एचएफसी) ब्लेंड्स, 407 और 410 से भिन्न सभी ब्लेंड्स को छोड़कर" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची टैरिफ आइटम 3824 78 00 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर, 2021, को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि -

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु का भारत को किया गया आयात इसके सामान्य मूल्य से बहुत कम मूल्य पर किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई;
- (ii) विषयगत देश से यहां विचाराधीन उत्पाद की भरमार होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 876 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के तहत संबद्ध वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि, शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड ने अंतिम निष्कर्षों में निर्यातक कंपनी का नाम "शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड" से "शेडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड" में बदलने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया था जिसे अधिसूचना संख्या 6/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था;

और जहां कि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, संशोधन अधिसूचना संख्या 7/15/2024-डीजीटीआर, दिनांक 3 अप्रैल, 2025, जिसे दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह अनुरोध केवल नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है और इससे व्यवसाय की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उन्होंने अपने अंतिम निष्कर्ष 6/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितंबर, 2021 में सिफारिश की है कि निर्यातक का नाम " शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड ", को संशोधित करके " शेडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड " कर दिया जाए;

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 22 दिसंबर, 2021 जिसे सा.का.नि. 876 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 के सामने, कॉलम (6) की प्रविष्टि में, " शेडोंग डोंग्युए केमिकल कंपनी लिमिटेड " शब्दों के स्थान पर, " शेडोंग डोंग्युए रेफ्रिजरेंट्स कंपनी लिमिटेड " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/33/2025-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

2

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2025

#### No. 24/2025-Customs (ADD)

**G.S.R. 471(E).**— Whereas, in the matter of "Hydrofluorocarbon (HFC) Blends. All blends other than 407 and 410 are excluded" (hereinafter referred to as the subject goods), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) falling under tariff item 3824 78 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and imported into India, the designated authority in its final findings, issued vide Notification number 06/34/2020-DGTR, dated the 27<sup>th</sup> September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 27<sup>th</sup> September, 2021,had come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration has been exported at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) there is causal link between dumping of product under consideration and injury to the domestic industry,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty imports the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed the anti-dumping duty on the subject goods, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2021-Customs (ADD), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 876(E), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2021;

And whereas, Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd requested the designated authority for changing the name of exporter company from "Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd" to "Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd" in its final findings *vide* notification number 06/34/2020-DGTR, dated the 27<sup>th</sup> September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 27<sup>th</sup> September, 2021;

And whereas, the designated authority, *vide* amendment notification number 7/15/2024-DGTR dated the 3<sup>rd</sup> April,2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 3<sup>rd</sup> April,2025, has come to the conclusion that the request falls within the category of name change only and there is no change in the basic nature of the business and recommended that the name of the exporter viz. "Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd", be amended to "Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd" in its final findings issued *vide* notification number 6/34/2020-DGTR, dated the 27<sup>th</sup> September, 2021;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid amendments to the final findings of the designated authority, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 76/2021-Customs (ADD), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 876(E), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2021, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (6), for the words "Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd", the words "Shandong Dongyue Refrigerants Co. Ltd" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190349/33/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.